

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

नरेन्द्रसिंह





किस्म प्रकरण : राजस्व वादपत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

अजीतसिंह वगैरह

मुकदमा नं. 180 / 2023

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
०१/११/२०२३	<p>प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा को आज पेशी पर लिया जाकर जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने के संबंध में पेश किया। पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी ने प्रकरण हाजा में पक्षकारान के मध्य में आपसी सहमति से राजीनामा होना जाहिर किया तथा प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने बाबत एवं आज पेशी पर लिया जाकर जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>पत्रावली में अप्रार्थीगण पक्षकारान की ओर से टी.आई प्रार्थना पेश नहीं किया हुआ है। अतः पक्षकारान के मध्य में राजीनामा हो जाने से प्रकरण हाजा को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वादपत्र अधीन धारा 53 आरटीएक्ट 1955 जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (उपखण्ड अधिकारी) नावां </p>	<p style="text-align: center;">    </p>